

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 28/2021 (जीसीएमएस नम्बर 2021/157)

1. महेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश, जाति गुर्जर, निवासी गादरवाड़ा गुजरान, तहसील बसवा, जिला दौसा।

- अपीलान्त

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र भोमा जाति गुर्जर निवासी गादरवाड़ा गुजरान तहसील बसवा जिला दौसा।
2. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बसवा, जिला दौसा।

-रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 29.01.2021 जो प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स अनुवानी महेन्द्र बनाम मांगीलाल प्रकरण संख्या 7/2017 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :-

1. श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय, वकील अपीलान्त।
2. श्री राजेन्द्र बैसला, वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक -06.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 29.01.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 05.06.1986 को ग्राम गादरवाड़ा गुजरान तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 320 में से 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट नं. 1 मांगीलाल पुत्र भोमा जाति गुर्जर, निवासी गादरवाड़ा गुजरान तहसील बसवा, जिला दौसा को किया गया था। अपीलान्त महेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश द्वारा आवंटन निरस्त करवाने बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू-आवंटन नियम-1970 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के यहां प्रस्तुत किया गया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2021 द्वारा अपीलान्त महेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1986 बहक मांगीलाल पुत्र भोमा, जाति गुर्जर, निवासी गादरवाड़ा गुजरान, तहसील बसवा, जिला दौसा यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये।
3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 29.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्त महेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स का अनुवानी महेन्द्र सिंह बनाम मांगीलाल का इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम गादरवाड़ा गुजरान तहसील बसवा में स्थित भूमि खसरा नंबर 320 गैर मुमकिन नला नाकाबिल काश्त बंजड भूमि है। कानूनन ऐसी भूमि का आवंटन नहीं हो सकता है उक्त भूमि नदी नाले की भूमि है तथा मौके पर आज भी नाले बने हुए है। उक्त भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के पशुओं को चराने के काम में आती है प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार उक्त भूमि में अपने बुर्जुगों के समय से पशुओं को चराते चले आ रहे हैं तथा पशुओं को चारा

करते हैं, उक्त भूमि में बरसाती नाला आता है, कानूनन ऐसी भूमि का आवंटन नहीं हो सकता है, किन्तु आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन रूल्स की अवहेलना करके विधि विरुद्ध तरीके से बिना कोई जाँच किये बिना व बिना उद्घोषणा जारी किये बिना व बिना उद्घोषणा की तामील करवाये दीगर ग्राम पंचायत में उक्त भूमि खसरा नंबर 320 ग्राम गादरवाडा गुजरान में से अप्रार्थी नंबर 1 को दिनांक 05.06.1986 को 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन कर दिया जिसकी प्रार्थी को कतई जानकारी नहीं थी। लेकिन जानकारी होने के उपरान्त उक्त आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स का प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के अधिवक्ता द्वारा उठाये गये किसी भी बिन्दु पर कोई विवेचन किये बिना व अपीलान्त के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का हवाला दिये बिना व आवंटन फ़ॉड करके व धोखे से करवाया जाना सिद्ध होने के बावजूद भी एवं नदी नाले की भूमि होने के बावजूद भी प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स को खारिज कर दिया गया।


उक्त आवंटन रूल्स की अवहेलना करके बिना कोई उद्घोषणा जारी किये बिना व बिना उद्घोषणा की तामील करवाये बिना विधि विरुद्ध तरीके से किया गया है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं करके विपरीत फ़ाईन्डिंग देकर आवंटन विधिवत उद्घोषणा करके किया गया है और प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी गलती की है। उक्त भूमि जिसका आवंटन किया गया है गैर मुमकिन नाकाबिल काश्त बंजड बीहड़ भूमि है कानूनन ऐसी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बारे में अपनी कोई फ़ाईन्डिंग दिये बिना और प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स को खारिज किया है। अप्रार्थी नंबर 01 ने अपनी स्वयं की भूमि के तथ्य को छिपाकर फ़ॉड व धोखे से उक्त भूमि में से अनेकों बार आवंटन करवाये हैं रेस्पोडेन्ट नंबर 1 भूमिहीन भी नहीं है। उक्त भूमि पर आवंटन के बाद से लेकर आज तक कभी भी रेस्पो0 नंबर 01 का कब्जा नहीं रहा ना ही आज कब्जा है। आवंटन जिस गाँव में भूमि स्थित है, उसी गाँव में होना चाहिए या उसी गाँव की ग्राम पंचायत में होना चाहिए। उक्त आवंटन गादरवाडा गुजरान ग्राम पंचायत का होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान ने नहीं करके और दीगर ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन किया गया है। अतः अपील अपीलान्त पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा दिनांक 29.01.2021 को निरस्त फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स को स्वीकार फरमाकर आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 05.06.1986 जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 01 को वाके ग्राम गादरवाडा गुजरान, तहसील बसवा में स्थित भूमि साबिका खसरा नंबर 320 में से 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है, को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

- रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलान्त की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि उक्त आवंटनशुदा भूमि वस्तुतः बरानी चाही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को किया गया आवंटन पूर्ण विधि प्रक्रिया अपनाकर विधिवत उद्घोषणा जारी करते हुए सभी नियमों को देखकर किया गया है। उक्त भूमि आवंटन योग्य सिवायचक भूमि थी एवं कहीं भी नदी नाले की जमीन नहीं है। जिस पर अप्रार्थी आवंटन से पूर्व से काबिज होकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। उक्त आवंटनशुदा भूमि पर दोनों फसले रबी व खरीफ की पैदा की जा रही है। उक्त भूमि गादरवाडा गुजरान में स्थित है एवं आवंटन भी ग्राम पंचायत गादरवाडा गुजरान में ही किया गया है। प्रार्थी को आवंटन की प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी थी एवं इतनी लम्बी अवधि पश्चात् आवंटन के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं इसका कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र झूठा आधार बनाकर एवं झूठे तथ्यों का वर्णन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना आवंटनी द्वारा की जा रही है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने लाखों रूपये खर्चा करके भूमि का विकास किया है एवं उसे काश्त योग्य बनाया है एवं पूर्ण रूप से आवंटनशुदा भूमि पर काबिज है एवं आवंटनी का पूरा परिवार उक्त भूमि से की जाने वाली काश्त पर निर्भर है। उक्त आवंटन की कार्यवाही मजमेआम में समस्त कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए की गई है। उक्त भूमि में से अप्रार्थी ने कुछ भूमि का विक्रय दीगर व्यक्ति को भी कर दिया है तथा अपने हिस्से की भूमि आई सी आई सी आई बैंक शाखा दौसा के यहा रहन भी रखी गई है। जिसकी अपीलान्त को पूर्णतया जानकारी होने के बावजूद भी अपीलान्त ने उक्त बैंक व खरीद किये गये व्यक्ति को प्रकरण में पक्षकार


नहीं बनाया गया है। ऐसी सूत्र में आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। रेस्पोंडेन्ट सं. 01 की भूमि से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित हैं जिसे अपीलान्ट जबरन अतिक्रमण कर दवाने के लिये प्रयासरत रहता है। अतः यह अपील अपीलान्ट खारिज कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलार्थीन निर्णय दिनांक 29.01.2021 को यथावत रखा जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलार्थीन आदेश दिनांक 29.01.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्पक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।
8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा अपने निर्णय में वादग्रस्त भूमि के साबिक रिकार्ड का विवेचन नहीं किया गया है तथा साथ ही आवंटन की अन्यों शर्तों की पालना के सम्बन्ध में भी निष्कर्षात्मक अभिमत प्रकट नहीं किया गया है। अपीलार्थी इस न्यायालय में ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, जिससे साबित होता हो कि आवंटित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के साबिक रिकार्ड का अवलोकन कर भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की होने पर आवंटन निरस्त करने के संबंध में निष्कर्षात्मक निर्णय उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पारित करें। साथ ही आवंटन की अन्य शर्तों यथा आवंटनी भूमिहीन होना, आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया की पालना किये जाने बाबत अन्य तथ्यों पर भी विचार कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि—अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलार्थीन निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 29.01.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के साबिक रिकार्ड का अवलोकन कर भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की होने पर आवंटन निरस्त करने के संबंध में निष्कर्षात्मक निर्णय उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर पारित करें। साथ ही आवंटन की अन्य शर्तों यथा आवंटनी भूमिहीन होना आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया की पालना किये जाने बाबत अन्य तथ्यों पर भी विचार कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।


(**डॉ. प्रवीण कुमार**)
अतिरिक्त सभासदी आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 06.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अतिरिक्त सभासदी आयुक्त,
जयपुर